



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122025-268818
CG-DL-E-26122025-268818

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5798]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2025/पौष 3, 1947

No. 5798]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025/PAUSHA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5997(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के अमरेली जिले में NH351 के कि.मी. 27 से कि.मी.154 (महुवा - सावरकुंडला - अमरेली - बगसरा - वाडिया - जेतपुर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविशनल मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के अमरेली जिले में NH351 के कि.मी. 27 से कि.मी.154 (महुवा - सावरकुंडला - अमरेली - बगसरा - वाडिया - जेतपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: अमरेली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सवार कुंडला					
गांव का नाम: गोरडका					
1	203 PAIKI	निजी	कृषि	0.0416 (हेक्टेयर)	0.0416
2	203 PAIKI	निजी	कृषि	0.0132 (हेक्टेयर)	0.0132
3	67 Min	निजी	कृषि	0.0947 (हेक्टेयर)	0.0947
4	69 PAIKI	निजी	कृषि	0.0659 (हेक्टेयर)	0.0659
5	69 PAIKI	निजी	कृषि	0.1213 (हेक्टेयर)	0.1213
6	69 PAIKI	निजी	कृषि	0.0489 (हेक्टेयर)	0.0489
7	69 PAIKI	निजी	कृषि	0.0734 (हेक्टेयर)	0.0734
8	69 PAIKI	निजी	कृषि	0.2602 (हेक्टेयर)	0.2602
9	69 PAIKI	निजी	कृषि	0.1551 (हेक्टेयर)	0.1551
10	69 PAIKI	निजी	कृषि	0.1924 (हेक्टेयर)	0.1924
11	69 PAIKI	निजी	कृषि	0.2174 (हेक्टेयर)	0.2174
12	70 PAIKI	निजी	कृषि	0.0064 (हेक्टेयर)	0.0064
13	70 PAIKI	निजी	कृषि	0.0027 (हेक्टेयर)	0.0027
गांव का नाम: लुवारा					
14	127 MIN	निजी	कृषि	0.0376 (हेक्टेयर)	0.0376
15	157 MIN	निजी	कृषि	0.0048 (हेक्टेयर)	0.0048
16	165 MIN	निजी	कृषि	0.0122 (हेक्टेयर)	0.0122
17	165 MIN	निजी	कृषि	0.0235 (हेक्टेयर)	0.0235
18	165 MIN	सरकारी	पडतर	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
गांव का नाम: रामगढ़					
19	161	निजी	कृषि	0.1348 (हेक्टेयर)	0.1348
20	162	निजी	कृषि	0.0997 (हेक्टेयर)	0.0997
21	163	निजी	कृषि	0.4023 (हेक्टेयर)	0.4023
22	164	निजी	कृषि	0.1852 (हेक्टेयर)	0.1852
23	165	निजी	कृषि	0.2855 (हेक्टेयर)	0.2855
24	166	निजी	कृषि	0.1142 (हेक्टेयर)	0.1142

25	194	निजी	कृषि	0.0064 (हेक्टेयर)	0.0064
26	197	निजी	कृषि	0.0048 (हेक्टेयर)	0.0048
27	NALA	सरकारी	पडतर	0.0076 (हेक्टेयर)	0.0076
Total					2.6278

[फा. सं. GJ/P/V/13/2019/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2025

S.O. 5997(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH351 in the stretch of land from Km. 27 to Km. 154 (MAHUVA - SAVARKUNDALA - AMRELI - BAGASARA - VADIYA - JETPUR) in the district of AMRELI in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Magistrate in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH351 in the stretch of land from Km. 27 to Km. 154 (MAHUVA - SAVARKUNDALA - AMRELI - BAGASARA - VADIYA - JETPUR) in the district of AMRELI in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: AMRELI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Savar Kundla					
Village: Goradka					
1	203 PAIKI	Private	Agriculture	0.0416 (Hectare)	0.0416
2	203 PAIKI	Private	Agriculture	0.0132 (Hectare)	0.0132
3	67 Min	Private	Agriculture	0.0947 (Hectare)	0.0947
4	69 PAIKI	Private	Agriculture	0.0659 (Hectare)	0.0659
5	69 PAIKI	Private	Agriculture	0.1213 (Hectare)	0.1213
6	69 PAIKI	Private	Agriculture	0.0489 (Hectare)	0.0489
7	69 PAIKI	Private	Agriculture	0.0734 (Hectare)	0.0734

8	69 PAIKI	Private	Agriculture	0.2602 (Hectare)	0.2602
9	69 PAIKI	Private	Agriculture	0.1551 (Hectare)	0.1551
10	69 PAIKI	Private	Agriculture	0.1924 (Hectare)	0.1924
11	69 PAIKI	Private	Agriculture	0.2174 (Hectare)	0.2174
12	70 PAIKI	Private	Agriculture	0.0064 (Hectare)	0.0064
13	70 PAIKI	Private	Agriculture	0.0027 (Hectare)	0.0027
Village: Luvara					
14	127 MIN	Private	Agriculture	0.0376 (Hectare)	0.0376
15	157 MIN	Private	Agriculture	0.0048 (Hectare)	0.0048
16	165 MIN	Private	Agriculture	0.0122 (Hectare)	0.0122
17	165 MIN	Private	Agriculture	0.0235 (Hectare)	0.0235
18	165 MIN	Government	WASTE LAND	0.016 (Hectare)	0.016
Village: Ramgadh					
19	161	Private	Agriculture	0.1348 (Hectare)	0.1348
20	162	Private	Agriculture	0.0997 (Hectare)	0.0997
21	163	Private	Agriculture	0.4023 (Hectare)	0.4023
22	164	Private	Agriculture	0.1852 (Hectare)	0.1852
23	165	Private	Agriculture	0.2855 (Hectare)	0.2855
24	166	Private	Agriculture	0.1142 (Hectare)	0.1142
25	194	Private	Agriculture	0.0064 (Hectare)	0.0064
26	197	Private	Agriculture	0.0048 (Hectare)	0.0048
27	NALA	Government	WASTE LAND	0.0076 (Hectare)	0.0076
Total					2.6278

[F. No. GJ/P/V/13/2019/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director